UPBJ010041692020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–01, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारीः– प्रशांत मित्तल, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06174

सेशन्स वाद संख्याः 808 सन् 2020

उत्तर प्रदेश राज्य .... **अभियोजन।**

बनाम

वसीम पुत्र नफीस उर्फ फीजू,
निवासी ग्राम रहटा बिल्लौच, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर।

.... **अभियुक्त।**

मुकदमा अपराध संख्याः–175/2020
धाराः– 08/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट
थानाः– नूरपुर
जिला–बिजनौर।

<u>निर्णय</u>

01– अभियुक्त वसीम के विरूद्ध पुलिस थाना नूरपुर, जिला बिजनौर द्वारा अपराध संख्या 175/2020 में आरोप पत्र संख्या 227/20, अन्तर्गत धारा 08/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

02– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा, थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर द्वारा दिनांक 10–07–2020 को थाना नूरपुर, जनपद बिजनौर में फर्द बरामदगी के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी गयी कि ''दिनाँक 10–07–2020 को मैं उप निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा मय हमराही हेड कां0 36 राजीव कुमार शर्मा, कां0 595 कौशल कुमार शर्मा, कां0 429 कपिल कुमार कां0 1182 राजन कुमार के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 17 समय 07:14 बजे, वास्ते देख–रेख क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं तलाश संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग में रवाना होकर चौकी क्षेत्र दौलतपुर में मामूर था। जब हम पुलिस वाले गश्त करते हुये नूरपुर मुरादाबाद रोड पर पडने वाले नहर के पुल के पास पहुँचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि रहटा बिल्लौच गाँव के पास नहर के पुल पर किनारे बैठा एक व्यक्ति कुछ नशीली दवाई बेच रहा है यदि जल्दी की जाए तो पकडा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वालो ने आपस में एक दूसरे की

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.08.07 10:21:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास जुर्म से संबंधित अवैध वस्तु नहीं है। फिर हम लोग मुखबिर को साथ लेकर अपनी अपनी मोटर साईकिलो से मुखबिर के बताए अनुसार रहटा बिल्लौच पुल की तरफ चल दिए नजदीक पहुँचने पर मुखबिर जो कि मेरी मोटर साईकिल पर बैठा था। उसने मोटर साईकिल रुकवायी और पुल से करीब 100 मीटर पहले दूर से ही इशारा करके बताया कि जो व्यक्ति रहटा पुल के किनारे बैठा है, उसी व्यक्ति के पास नशीली दवाई है और मुखबिर चला गया। हम पुलिस वालो ने एक बारगी दबिश देकर बताए गए व्यक्ति को घेर घोट कर समय करीब 09:30 बजे, पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाश ली तो उसने अपना नाम वसीम पुत्र नफीस उर्फ फीजू, निवासी ग्राम रहटा बिल्लौच, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर बताया। पकडे गये व्यक्ति को मुझ उपनिरीक्षक द्वारा बताया गया कि हमें सूचना मिली है कि आपके पास नशीली गोलियाँ है यदि आप चाहे तो किसी राजपत्रित अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष अपनी तलाशी दे सकते है। तब उक्त पकडे गये व्यक्ति ने कहा कि साहब जब आपने मुझे पकड ही लिया है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरी तलाशी ले लीजिये। यह सच है कि मेरे पास नशे की गोलिया है जिन्हे बेच कर अपने घर का खर्च चला लेता हूँ। तब मेरे द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0 के अन्तर्गत सहमति पत्र तैयार कराकर कां0 1182 राजन कुमार से उसकी जामा तलाशी लिवायी गई तो पहने लोवर की दाहिनी जेब से 355 अदद गोलियाँ जिन पर अल्प्राजोलम टेबलेट IP 05 MG BECALM लिखी बरामद हुई। बरामद गोलियॉ विसिमित औषधि एवं प्रतिबंधित मनः प्रभावी पदार्थ है। जब पकडे गये व्यक्ति से इन गोलियो को रखने का लाईसेंस तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा और माफी माँगने लगा। पकडे गये व्यक्ति को उसके जुर्म धारा 8/21/22 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम से अवगत कराते हुए तथा थाना नूरपुर के मु0अ0सं0 96/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित होने से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद 355 गोलियो में से 10 गोलियों को अलग निकालकर एक पन्नी में रखकर, परीक्षण हेतु तथा शेष 345 गोलियों को अलग कपडे में रखकर, सील सर्वे मुहर कर, नमूना मोहर बनाया गया। दौराने गिरफ्तारी/बरामदगी के समय मानवाधिकार आयोग एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों निर्देशो का पालन किया गया। फर्द मौके पर मुझ उपनिरीक्षक द्वारा बोल–बोलकर कां0 595 कौशल कुमार शर्मा से लिखवाई गई। दौराने गिरफ्तारी आने जाने वाले लोगो से गवाही हेतु कहा लेकिन भलाई बुराई की वजह से कोई गवाही को तैयार नही हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। फर्द को पढकर, सुनाकर, गवाही हमराहीगण कर्मचारी कराई गई। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को देकर अलामात बनवाये गये।''

03– उक्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर, जिला बिजनौर पर मुकदमा अपराध संख्या 175/2020 अन्तर्गत धारा 08/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, अभियुक्त वसीम के विरूद्ध पंजीकृत किया गया तथा विवेचना की गयी।

04– विवेचक द्वारा बाद विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण के बयान अंकित किये तथा एकत्रित की गई साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त वसीम के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 175/2020, धारा 08/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

05– अभियुक्त वसीम के विरूद्ध धारा 08/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत आरोप दिनाँक 03–04–2021 को विरचित किया गया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

06– आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया है–

क्रम सं0	**साक्षी का नाम**	**पी0डब्लू0 संख्या**	**विवरण**
01.	विनोद कुमार मिश्रा	पी0डब्लू0–1	वादी मुकदमा
02.	कां0 रोहिताश गोस्वामी	पी0डब्लू0–2	प्राथमिकी लेखक
03.	हेड कां0 कपिल कुमार	पी0डब्लू0–3	बरामदगी के अन्य साक्षी
04.	सेवानिवृत उपनिरीक्षक शिशुपाल सिहॅ	पी0डब्लू0–4	विवेचक
05.	कां0 शुभम गंगवार	पी0डब्लू0–5	विधि विज्ञान प्रयोगशाला में माल दाखिला साक्षी

07– अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियोजन द्वारा सहवन रवानगी जी0डी0 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क–4 अंकित कराया गया है जिसे नीचे वर्णित सूची में प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अंकित प्रदर्श क–4 को कोष्ठक में सही वस्तु प्रदर्श क–4ए वर्णित किया गया है, जिसे निर्णय में प्रदर्श क–4ए पढा जायेगा।

क्रम सं0	**विवरण**	**प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
01–	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
02–	सहमति पत्र	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–1

03–	गिरफतारी प्रपत्र	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–1
04–	रवानगी जी0डी0	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–1
05–	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	प्रदर्श क–4(ए)	पी0डब्लू0–2
06–	कायमी मुकदमा की जी0डी0	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–2
07–	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–6	पी0डब्लू0–4
08–	आरोप पत्र	प्रदर्श क–7	पी0डब्लू0–4
09–	विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या	प्रदर्श क–8	पी0डब्लू0–4
09–	माल दाखिला रसीद	प्रदर्श क–9	पी0डब्लू0–5

08– अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्रम सं0	**विवरण**	**वस्तु प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
01.	कपडा पुलिंदा	वस्तु प्रदर्श–1	पी0डब्लू0–1
02.	कपडा पुलिंदा	वस्तु प्रदर्श–2	पी0डब्लू0–1

09– अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त द्वारा घटना व साक्षियों के बयानों को गलत बताते हुये मुकदमा झूॅठा चलना तथा स्वयं को निर्दोष होना बताया तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा परन्तु कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

10– मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (एन0डी0पी0एस0 एक्ट) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

11– अभियोजन द्वारा दिनांक 10–07–2020 को समय 09:30 बजे, पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर उसकी जामा तलाशी से 355 प्रतिबंधित नशीली गोलियां ALPRAZOLAM TABLETS IP 0.5 mg.Becalm बरामद होना कथित किया गया है। अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में 05 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है।

12– **पी0डब्लू0–1 निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा** जो कि इस मुकदमे के वादी मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि '' मैं दिनाँक 10–07–2020 को थाना नूरपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मय मै उप निरीक्षक मय हमराही हेड कां0 राजीव कुमार शर्मा, कां0 कौशल कुमार शर्मा, कां0 कपिल कुमार व कां0 राजन कुमार के साथ थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 17 समय 07:14 बजे, थाने से रवाना होकर देख रेख क्षेत्र, तलाश संदिग्ध व्यक्ति व वाहन में

चौकी क्षेत्र दौलतपुर में मामूर था। जब हम लोग गश्त करते हुए गश्त करते हुये नूरपुर मुरादाबाद रोड पर पडने वाले नहर के पुल के पास पहुँचे तो मुखबिर खास से सूचना मिली कि रहटा बिल्लौच गाँव के पास नहर के पुल पर एक व्यक्ति कुछ नशीली दवाई बेच रहा है यदि जल्दी की जाए तो पकडा जा सकता है। मुखबिर की बात पर विश्वास करके हम पुलिस वालो ने एक दूसरे की जामा तलाशी ली और विश्वास किया कि किसी के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है। मैं उपनिरीक्षक मुखबिर को अपनी मोटर साईकिल पर साथ लेकर पुलिस वालो के साथ मुखबिर के बताए अनुसार चल दिया। लगभग 100 मीटर पहले मुखबिर ने मोटर साईकिल रूकवाकर इशारा करके बताया कि जो व्यक्ति पुल के नीचे बैठा है, उसी के पास नशीली दवाई है और मुखबिर चला गया। तब हम पुलिस वालो ने उक्त व्यक्ति को घेर घोटकर समय लगभग 09:30 बजे, पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम वसीम पुत्र नफीस उर्फ फीजू, निवासी ग्राम रहटा बिल्लौच, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर बताया। पकडे गये व्यक्ति को मुझ उपनिरीक्षक द्वारा बताया गया कि आपके पास नशीली गोलियाँ है यदि आप चाहे तो किसी राजपत्रित अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट को अपनी तलाशी दे सकते है। तब उसने कहा कि जब आपने पकड ही लिया है, तो आप ही मेरी तलाशी ले लीजिये। मुझे आप पर विश्वास है। तब मेरे द्वारा सहमति पत्र तैयार करते हुए कां0 राजन कुमार से इसकी जामा तलाशी लिवायी तो इसके पास से पहने लोवर की दाहिनी जेब से 355 गोलियाँ जिन पर अल्प्राजोलम टेबलेट IP 05 MG BECALM लिखी बरामद हुई। पकडे गये व्यक्ति से गोलियो को रखने का लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहा। तब उसको उसके जुर्म धारा 8/21/22 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम व मु0अ0सं0 96/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित होने के बारे में अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद गोलियो में से 10 गोलियॉ अलग निकालकर एक पन्नी में रखकर, परीक्षण हेतु तथा शेष 345 गोलियो को अलग कपडे में रखकर, सील सर्वे मुहर कर, नमूना मोहर किया गया। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी के समय मानवाधिकार आयोग एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों निर्देशो का पालन किया गया। फर्द मौके पर ही मेरे द्वारा बोल–बोलकर कां0 कौशल शर्मा से लिखवाई गई। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी आने जाने वाले व्यक्तियो से गवाही हेतु कहा गया लेकिन भलाई बुराई होने के कारण बिना नाम पता बताये चले गये। फर्द को पढकर, सुनाकर, गवाही हमराही कर्मचारीगण कराई गई तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्त वसीम को देकर अलामात बनवाये गये। फर्द मूल रूप से पत्रावली पर कागज सं0 क–7 पर मौजूद है जिस पर मेरे व हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर है। फर्द पर **प्रदर्श क–1** अंकित किया गया। सहमति पत्र मूल रूप से पत्रावली पर क–8 पर मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है तथा अभियुक्त वसीम के

अलामात है जिस पर **प्रदर्श क–2** अंकित किया गया। गिरफतारी प्रपत्र पत्रावली पर कागज सं0 क–9 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–3** अंकित किया गया। जी0डी0 रवानगी पत्रावली पर कागज सं0 ख–41 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–4** अंकित किया गया। न्यायालय के सामने दो सील सर्वे पुलिंदे आये और न्यायालय के आदेशानुसार खोले गये। पहला पुलिंदा खोला तो उसके अन्दर से 15 गोलियो के 23 रेपर निकले। गवाह ने देखकर बताया कि यह वही एल्प्राजोलाम की टेबलेट है जो कि मैंने अभियुक्त वसीम से मौके से 355 एल्प्राजोलाम की टेवलेट बरामद की थी जिसमे से 10 गोलियॉ परीक्षण हेतु अलग निकाली थी। माल जिस सफेद कपडे में सील सर्वे मुहर किया गया था उस पर **वस्तु प्रदर्श–1** अंकित किया गया। दूसरा पुलिंदा खोला तो उसके अन्दर से 10 गोलियो का एक रेपर निकला। रेपर में जो गोलियॉ कम है वो परीक्षण हेतु उपयोग में ली गयी है। माल जिस सफेद कपडे में सील सर्वे मुहर किया गया था उस पर **वस्तु प्रदर्श–2** अंकित किया गया। ''

13– **पी0डब्लू0–2 कां0 260 रोहिताश कुमार** जो कि इस मुकदमें के प्राथमिकी लेखक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''मैं दिनॉक 10–07–2020 को थाना नूरपुर में कां0 क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मुकदमा अपराध संख्या 175/2020, धारा 08/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट, थाना नूरपुर, सरकार बनाम वसीम के विरूद्व फर्द के आधार पर फर्द का शब्द व शब्द बोलकर कम्प्यूटर पर महिला कां0 819 रीतू तोमर से टंकित कराया था, जिसकी कम्प्यूटरीकृत कॉपी पत्रावली पर कागज सं0 क–6/1 ता 6/2 पर मौजूद है जिस पर तत्कालीन थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–4** अंकित किया गया। मुकदमें का खुलासा उसी दिन दिनॉक 10–07–2020 को समय 11:01 बजे, जी0डी0 नं0 30 पर कम्प्यूटर पर कराया था जिसकी कम्प्यूटरीकृत कॉपी पत्रावली पर कागज सं0 क–10 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया।''

14– **पी0डब्लू0–3 हेड कां0 कपिल कुमार** जो कि बरामदगी के अन्य साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि '' मैं दिनाँक 10–07–2020 को थाना नूरपुर में कां0 के पद पर तैनात था। उस दिन मैं व कां0 राजीव कुमार शर्मा, कां0 कौशल कुमार शर्मा, कां0 राजन कुमार व उपनिरीक्षक विनोद कुमार शर्मा के साथ थाना नूरपुर से बहवाले रपट नं0 17 समय 07:14 बजे, देख रेख क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं तलाश संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग में रवाना होकर चौकी क्षेत्र दौलतपुर में मामूर था। जब हम पुलिस वाले गश्त करते हुये नूरपुर मुरादाबाद रोड पर पडने वाले नहर के पुल के पास पहुँचे तो जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि रहटा बिल्लौच गाँव के पास नहर के पुल के किनारे बैठा एक व्यक्ति कुछ नशीली दवाई बेच रहा है यदि जल्दी की जाए तो पकडा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हम पुलिस वालो ने आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर

इत्मीनान किया कि किसी के पास जुर्म से संबंधित कोई अवैध वस्तु नहीं है। फिर हम लोग मुखबिर को साथ लेकर अपनी अपनी मोटर साईकिलो से मुखबिर के बताए अनुसार रहटा बिल्लौच पुल की तरफ चल दिए नजदीक पहुँचने पर मुखबिर जो कि उपनिरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा की मोटर साईकिल पर बैठा था। उसने मोटर साईकिल रुकवायी और पुल से करीब 100 मीटर पहले दूर से ही इशारा करके बताया कि जो व्यक्ति रहटा पुल के किनारे बैठा है, उसी व्यक्ति के पास नशीली दवाई है और मुखबिर चला गया। हम पुलिस वालो ने एक बारगी दबिश देकर बताए गए व्यक्ति को घेर घोट कर समय करीब 09:30 बजे, पकड लिया। पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाश ली तो उसने अपना नाम वसीम पुत्र नफीस उर्फ फीजू, निवासी ग्राम रहटा बिल्लौच, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर बताया। पकडे गये व्यक्ति को उपनिरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि हमें सूचना मिली है कि आपके पास नशीली गोलियाँ है यदि आप चाहे तो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष अपनी तलाशी दे सकते है। तब उक्त पकडे गये व्यक्ति ने कहा कि साहब जब आपने मुझे पकड ही लिया है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप ही मेरी तलाशी ले लीजिये। यह सच है कि मेरे पास नशे की गोलिया है, जिन्हे बेच कर अपने घर का खर्च चला लेता हूँ। तब उपनिरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0 के अन्तर्गत सहमति पत्र तैयार कराकर कां0 1182 राजन कुमार से उसकी जामा तलाशी लिवायी गई तो पहने लोवर की दाहिनी जेब से 355 अदद गोलियाँ जिन पर अल्प्राजोलम टेबलेट I.P. 0.5 MG BECALM लिखी बरामद हुई। बरामद गोलियॉ विशीमित औषधि एवं प्रतिबंधित मनः प्रभावी पदार्थ है। जब पकडे गये व्यक्ति से इन गोलियो को रखने का लाईसेंस तलब किया तो दिखाने से कासिर रहा और माफी माँगने लगा। पकडे गये व्यक्ति को उसके जुर्म धारा 8/21/22 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम से अवगत कराते हुए तथा थाना नूरपुर के मु0अ0सं0 96/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित होने से अवगत कराते हुए नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद 355 गोलियो में से 10 गोलियों को अलग निकालकर एक पन्नी में रखकर परीक्षण हेतु तथा शेष 345 गोलियो को अलग कपडे में रखकर, शील सर्वे मुहर कर, नमूना मोहर बनाई गई। दौराने गिरफ्तारी/बरामदगी के समय मानवाधिकार आयोग एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों निर्देशो का पालन किया गया। फर्द मौके पर उपनिरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा द्वारा बोल–बोलकर कां0 595 कौशल कुमार शर्मा से लिखवाई गई। दौराने गिरफ्तारी आने जाने वाले लोगो से गवाही हेतु कहा लेकिन भलाई बुराई की वजह से कोई गवाही को तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये। फर्द को पढकर, सुनाकर, हमराही कर्मचारीगण के हस्ताक्षर कराये गये जिस पर मेरे भी हस्ताक्षर है जिस फर्द पर मेरे हस्ताक्षर है वो

पत्रावली पर कागज संख्या क–7 पर मौजूद है। ''

15– पी0डब्लू0–4 सेवानिवृत उपनिरीक्षक शिशुपाल सिहॅ जो कि इस अभियोग के विवेचक है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''मैं दिनांक 10–07–2020 को थाना नूरपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मुझे मु0अ0सं0 175/2020, धारा 08/21/22 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम, थाना नूरपुर, सरकार बनाम वसीम की विवेचना प्राप्त हुई थी। विवेचना ग्रहण करने के पश्चात दिनॉक 10–07–2020 को सी0डी0–1 में नकल चिक, नकल रपट, नकल सहमति पत्र, बयान एफ0आई0आर0 लेखक, कां0 254 रोहताश गोस्वामी, बयान अभियुक्त वसीम, बयान वादी उपनिरीक्षक विनोद कुमार सी0डी0 में अंकित किए। दिनॉक 12–07–2020 को सी0डी0–3 में बयान गवाहान हेड कां0 राजीव कुमार शर्मा, कां0 595 कौशल कुमार शर्मा, कां0 429 कपिल कुमार व कां0 1182 राजन कुमार के बयान सी0डी0 में अंकित किए तथा वादी मुकदमा उपनिरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा की निशानदेही पर मौके पर साथ ले जाकर घटनास्थल का निरीक्षण कर, मौके पर अपने हस्तलेख में नक्शा नजरी तैयार किया जो कि पत्रावली पर कागज संख्या क–4 पर मौजूद है जिस पर मेरे हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–6** अंकित किया गया तथा सी0डी0 में संलग्न किया गया। दिनॉक 25–07–2020 को सी0डी0 4 में उपरोक्त मुकदमे से संबंधित माल को कां0 777 शुभम गंगवार द्वारा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुरादाबाद भेजा गया। दिनॉक 28–07–2020 को सी0डी0 5 में एक पुलिंदा सील सर्वे कां0 777 शुम्भू गंगवार को दिया गया था। दिनॉक 27–07–2020 को क्रम सं0 2044/नार/20 पर दाखिल कराया। दाखिले की प्राप्ति रसीद का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया तथा कां0 के बयान सी0डी0 में अंकित किए। दिनॉक 07–08–2020 को सी0डी0 6 दिनॉक 21–08–2020 को सी0डी0 7 में न्यायालय द्वारा 14 दिन का रिमाण्ड स्वीकृत कराया। दिनॉक 26–08–2020 को सी0डी0 8 में अभियुक्त का 14 दिन का रिमाण्ड स्वीकृत कराया। दिनॉक 03–09–2020 को सी0डी0 9 में उपरोक्त मुकदमें से संबंधित माल की परीक्षण रिपोर्ट हेतु स्मृति पत्र भेजा गया। स्मृति पत्र का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया गया। दिनॉक 10–09–2020 को सी0डी0 11 में तमामी विवेचना के आधार पर नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी, बयान गवाहान, सहमति पत्र, नक्शा नजरी के आधार पर मु0अ0सं0 175/2020 धारा 08/21/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना नूरपुर, सरकार बनाम वसीम के विरूद्व आरोप पत्र सं0 227/20 दिनॉक 10–09–2020 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया जिसकी कम्प्यूटराईज्ड कॉपी पत्रावली पर कागज सं0 क–3/ ता 3/2 पर मौजूद है जिस पर मेरे व तत्कालीन थाना प्रभारी व सी0ओ0 चॉदपुर के हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क–7** अंकित किया गया। दिनांक 09–10–2020 को सी0डी0–8 में उपरोक्त मुकदमें से

संबंधित माल की रिपोर्ट का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया जिसकी एफ0एस0एल0 रिपोर्ट पत्रावली पर कागज सं0 क–15 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–8** अंकित किया गया।''

16– **पी0डब्लू0–5 कां0 777 शुभम गंगवार** जो कि इस अभियोग के विधि विज्ञान प्रयोगशाला, में माल दाखिला साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि ''मैं दिनांक 27–07–2020 को थाना नूरपुर में कां0 के पद पर तैनात था। उस दिन मैं उपरोक्त मुकदमे से संबंधित माल जो कि सीलबंद अवस्था में था, परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुरादाबाद में दिनॉक 27–07–2020 को क्रम सं0 2044/नार/20 पर दाखिल करके आया था। दाखिले की प्राप्ति रसीद लाकर थाने पर एच0एम0 को दी थी, जो कि पत्रावली पर कागज सं0 ख–11/12 पर मौजूद है जिस पर **प्रदर्श क–9** अंकित किया गया।

17– अभियोजन की ओर से दौरान बहस यह तर्क प्रस्तुत किए गए कि दिनॉक 10–07–2020 को थाना नूरपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्त को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की जामा तलाशी से 355 प्रतिबंधित नशीली गोलियां ALPRAZOLAM TABLETS IP 0.5 mg.Becalm बरामद हुई जिसे रखने का कोई लाईसेंस अभियुक्त नहीं दिखा सका। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियो ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त से की गई बरामदगी, कथित घटना को पूर्ण रूप से समर्थित किया है तथा अभियुक्त से बरामद माल व समस्त अभियोजन प्रपत्रो को विधिवत साबित किया है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या में भी बरामद माल ALPRAZOLAM होना पाया गया है। अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में कोई ऐसा मुख्य विरोधाभाष नहीं है जिससे अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य या अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा हो। प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्व किया जाए।

18– अभियुक्त की ओर से अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किए गए कि पुलिस द्वारा उसे झूॅठा फसाया गया है। उससे कोई ALPRAZOLAM TABLETS IP 0.5 mg.Becalm की बरामदगी नहीं हुई है। वादी मुकदमा द्वारा धारा 50 व 55 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। साथ ही अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में कई महत्वपूर्ण तथ्यो को लेकर घोर विरोधाभाष है तथा अभियोजन द्वारा बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य से तथा वादी मुकदमा द्वारा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानो का अनुपालन न करने से अभियुक्त पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

19– अभियोजन द्वारा दिनॉक 10–07–2020 को थाना नूरपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्त को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया जाना व अभियुक्त की जामा तलाशी से 355 प्रतिबंधित नशीली गोलियां ALPRAZOLAM TABLETS IP 0.5 mg.Becalm बरामद होना कथित किया गया है। अभियोजन की ओर से उपरोक्त बरामदगी के संबंध में 02 तथ्यात्मक साक्षियो को प्रस्तुत किया गया है जिसमें वादी मुकदमा व बरामदगी के साक्षी उपनिरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा को बतौर पी0डब्लू–1 एवं बरामदगी के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–3 हेड कां0 कपिल कुमार को परीक्षित कराया है। उपरोक्त दोनों साक्षियो ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त को दिनॉक 10–07–2020 को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार करना, अभियुक्त द्वारा सहमति दिए जाने पर उसकी जामा तलाशी से 355 ALPRAZOLAM TABLETS IP 0.5 mg.Becalm की प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद होना, बरामद माल को मौके पर सील किया जाना तथा बरामद गोलियो में से रैपर सहित 10 गोलियो को बतौर नमूना माल तैयार कर सील सर्वे मुहर करना, बरामदगी की फर्द मौके पर तैयार कर अपने, हमराहीयान व अभियुक्त के हस्ताक्षर कराना व गिरफतारी मैमो प्रपत्र तैयार करना, कथित किया है। वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 द्वारा फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–1, सहमति पत्र को प्रदर्श क–2, गिरफतारी प्रपत्र को प्रदर्श क–3 के रूप में तथा रवानगी जी0डी0 को प्रदर्श क–4 के रूप में एवं बरामद माल को न्यायालय के समक्ष खोले जाने पर पुलिंदे के कपडे को वस्तु प्रदर्श–1 व दूसरे नमूना माल के पुलिंदे के कपडे को वस्तु प्रदर्श–2 के रूप में साबित किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत घटना के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–3 ने भी पी0डब्लू–1 की साक्ष्य व अभियोजन कथन का पूर्ण समर्थन करते हुए अभियुक्त से 355 अवैध नशीली गोलियॉ ALPRAZOLAM TABLET I.P. 0.5 mg Becalm बरामद किया जाना कथित किया गया है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–5 ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्त से बरामद माल को दिनॉक 27–07–2020 को सीलबंद अवस्था में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, मुरादाबाद दाखिल किया जाना कथित किया है। उपरोक्त साक्षियो की साक्ष्य की पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या प्रदर्श क–8 से हो रही है जिसमें अभियुक्त से बरामद नमूना माल की अन्तर्वस्तु का विश्लेषण करने पर बरामद गोलियो में ALPRAZOLAM होना पाया गया है तथा उक्त आख्या में उक्त माल को पी0डब्लू–5 कॉ0 शुभम गंगवार द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दिनॉक 27–07–2020 को दाखिल किया जाना अंकित है। उपरोक्त परिस्थितियो में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत घटना व बरामदगी के चक्षुदर्शी साक्षीगण पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–3 द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथन का पूर्ण समर्थन करने से तथा उक्त साक्षियो की पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या से होने से, अभियुक्त से दर्शित बरामदगी व अभियोजन कथन साबित हो रहा है। साथ ही

उपरोक्त साक्षियो की साक्ष्य में कोई ऐसा मुख्य विरोधाभाष नहीं है जिससे अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य या अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा हो।

20– अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा द्वारा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा 50 के आज्ञापक प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया व न ही उसकी गिरफ्तारी की सूचना उच्च अधिकारियो को दी गई जिससे समस्त अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत इस तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि अभियोग की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि ''पकडे गये व्यक्ति को मुझ एस0आई0 द्वारा बताया गया कि हमें सूचना मिली है कि आपके पास नशीली गोलियॉ है। यदि आप चाहे तो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष अपनी तलाशी दे सकते है। तब उक्त व्यक्ति ने कहा कि साहब जब आपने मुझे पकड ही लिया है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप मेरी तलाशी ले लिजिए।'' अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 व पी0डब्लू–3 ने भी अपनी साक्ष्य में अभियुक्त को धारा 50 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रावधानों से अवगत कराकर जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवाने हेतु बताया जाना व अभियुक्त की सहमति के आधार पर उसकी जामा तलाशी लेना कथित किया है तथा पी0डब्लू–1 द्वारा अभियुक्त की सहमति के आधार पर तैयार किए गए सहमति पत्र को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया है जिस पर वादी मुकदमा व अभियुक्त के हस्ताक्षर मौजूद है। वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 ने अपनी जिरह में भी पृष्ठ सं0 9 पर स्पष्ट रूप से यह कहा है कि ''मेरे द्वारा अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिवाने के बारे में अवगत कराया गया था, किन्तु अभियुक्त ने मना कर दिया जिस कारण मेरे द्वारा सूचना ना देकर सहमति पत्र गिरफ्तारी के समय तैयार किया गया।'' उपरोक्त साक्ष्य व फर्द बरामदगी से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रावधान का अनुपालन करते हुए राजपत्रित अधिकारी के समक्ष जामा तलाशी हेतु ले जाने को अभियुक्त के अधिकार को बताया गया तथा अभियुक्त द्वारा अपनी सहमति देने पर सहमति पत्र तैयार करने के पश्चात ही अभियुक्त की जामा तलाशी ली गई है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि वादी मुकदमा द्वारा धारा 50 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के प्रावधान का अनुपालन न किया गया हो।

21– जहॉ तक वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उच्च अधिकारियो को न दिए जाने का प्रश्न है तो उल्लेखनीय है कि कथित घटना 09:30बजे की है तथा उसी घटना की दिनॉक को ही समय 11:01 बजे, एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–4ए दर्ज की गई है जिस पर प्रभारी निरीक्षक थाना नूरपुर के हस्ताक्षर मौजूद है जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना समय अवधि के अन्दर थाने के भारसाधक अधिकारी को दे दी गई है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि वादी द्वारा उच्च अधिकारियो को सूचना न दी गई हो।

22– अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि

अभियोजन द्वारा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा है। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क के संबंध में उल्लेखनीय है कि यह सही है कि अभियोजन द्वारा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है, परन्तु अभियोग की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में यह अंकित है कि ''दौरान गिरफ्तारी आने जाने वाले लोगों से गवाही हेतु कहा लेकिन भलाई बुराई की वजह से कोई गवाही को तैयार नहीं हुआ और बिना नाम पता बताये चले गये।'' वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 ने अपनी साक्ष्य में भी पृष्ठ सं0 4 पर यह कहा है कि ''दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी आने जाने वाले व्यक्तियो से गवाही हेतु कहा गया लेकिन भलाई बुराई होने के कारण बिना नाम पता बताये चले गये।'' इसी प्रकार बरामदगी के अन्य चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–3 ने भी अपनी साक्ष्य में पृष्ठ सं0 3 पर यह कहा है कि ''दौराने गिरफ्तारी आने जाने वाले लोगों को गवाही हेतु कहा लेकिन भलाई बुराई की वजह से कोई गवाही को तैयार नहीं हुआ तथा बिना नाम पता बताये चले गये।'' उपरोक्त से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा द्वारा मौके पर स्वतंत्र साक्षी को लेने का प्रयास किया गया, परन्तु भलाई बुराई के कारण कोई व्यक्ति गवाही देने हेतु तैयार नहीं हुआ। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कृपाल सिहॅ बनाम हरियाणा राज्य ए0आई0आर0 2013 (सुप्रीमकोर्ट) 296** में यही विधि व्यवस्था दी गयी है कि यदि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य विश्वसनीय हो तो साक्षियो की साक्ष्य की पुष्टि स्वतंत्र साक्षी से न कराया जाना अभियोजन कथन के लिए घातक नहीं है। आज के सामाजिक परिवेश में यह स्वभाविक है कि कोई भी व्यक्ति किसी आपराधिक मामले में गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होता। इस अभियोग में अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 व 3 ने घटना को पूरी तरह से समर्थित किया है, तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या में अभियुक्त से बरामद माल का एलप्राजोलाम होना पाया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य विश्वसनीय है व उनकी साक्ष्य की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी से न कराये जाने से अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य या अभियोजन कथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है।

23– अभियुक्त की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में कई तथ्यो को लेकर विरोधाभाष है। पी0डब्लू–1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में 15 गोली के 23 रेपर बरामद होना कहा है जबकि अपनी जिरह में यह कहा है कि एक पत्ते में कितनी गोलियॉ थी, मैं नहीं बता सकता तथा पी0डब्लू–3 द्वारा यह नहीं बताया गया कि घटनास्थल के नक्शा नजरी में दर्शित नहर में पानी था या नहीं। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क बलहीन है, क्योंकि अभियुक्त द्वारा संदर्भित विरोधाभाष एक सूक्ष्म प्रकृति के विरोधाभाष है। कथित घटना वर्ष 2020 की है तथा अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य घटना के लगभग 5 वर्ष बाद दर्ज की गई है। इतने लम्बे समय अन्तराल के बाद अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में सूक्ष्म विरोधाभाष आना स्वभाविक है। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य में आये उपरोक्त सूक्ष्म विरोधाभाष से अभियोजन कथन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडता है, खासकर ऐसी स्थिति में जबकि अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य से तथा उनकी साक्ष्य की पुष्टि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या से होने से

अभियुक्त से की गई बरामदगी साबित हो रही है।

24– अभियोजन द्वारा दिनांक 10–07–2020 को पुलिस थाना नूरपुर द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करने पर उसकी जामा तलाशी से 355 अवैध नशीली गोलियॉ ALPRAZOLAM TABLET I.P. 0.5 mg Becalm बरामद होना कथित किया गया है तथा जैसा कि उपरोक्त विवेचित किया गया है कि अभियोजन साक्षियो की साक्ष्य से, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या से व वादी द्वारा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के प्रावधानो का अनुपालन करने से अभियुक्त से अवैध नशीली गोलियॉ ALPRAZOLAM TABLET I.P. 0.5 mg Becalm बरामद होना साबित हो रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन, प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त दोषसिद्व होने योग्य है।

आदेश

25– सेशन्स वाद संख्या 808 सन् 2020, मुकदमा अपराध संख्या 175/2020, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में अभियुक्त वसीम को धारा 08/21/22 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्व किया जाता है।

26– अभियुक्त जमानत पर न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त के जमानतनामें तथा व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किए जाते है तथा जमानतदारों को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। उसें दंण्ड के प्रश्न पर सुना जायेगा।

(प्रशात मित्तल)
(विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
दिनांकः– 06–08–2026 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर।

27– पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पेश हुयी। दण्ड की मात्रा के प्रश्न पर दोषसिद्व के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक

(एन0डी0एस0एक्ट) को सुना गया।

28– दोषसिद्व के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्व का यह प्रथम अपराध है। पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह गरीब व्यक्ति है तथा उसके परिवार की देख–रेख करने वाला कोई नहीं है। अतः उदारता का दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे कम से कम दण्ड दिया जाये।

29– अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त तर्क का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त का वृहद आपराधिक इतिहास है। उसके विरूद्व विभिन्न थानो में 08 मुकदमें दर्ज है। उसके विरूद्व दर्ज मुकदमो की सूची पत्रावली पर दाखिल की गयी है। दोषसिद्व आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। उसके कब्जे से पुलिस द्वारा 355 अवैध नशीली गोलियॉ ALPRAZOLAM TABLET I.P. 0.5 mg Becalm बरामद हुई है। दोषसिद्व को कठोरतम दण्ड दिया जाये।

30– मैंने पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार किया।

31– मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्व को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>दण्डादेश</u>

सेशन्स वाद संख्या 808 सन् 2020, मुकदमा अपराध संख्या 175/2020, थाना नूरपुर, जिला बिजनौर में दोषसिद्व वसीम को धारा 08/21/22 एन0डी0पी0एस0 में 04 वर्ष का कारावास, 5,000/–रूपये के अर्थदण्ड, तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्व द्वारा इस मामले में जेल में बितायी गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

बरामद शुदा माल बाद म्याद अपील अवधि नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

दोषसिद्ध को सजायाबी वारन्ट के साथ दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार, बिजनौर भेजा जाये।

निर्णय की प्रति दोषसिद्व को निःशुल्क प्रदान की जाये।

(प्रशांत मित्तल)
(विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर।

दिनांकः– 06–08–2026

निर्णय तथा आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रशांत मित्तल)
(विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर।

दिनांकः– 06–08–2026